मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 2-2/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 19 मार्च,2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- वित्तीय स्वीकृतियों तथा आदेशों की संसूचना महालेखाकार कार्यालय को पृष्ठांकित किये जाने के संबंध में ।

—••—

मध्यप्रदेश वित्त संहिता जिल्द एक के नियम 60 में वित्तीय स्वीकृतियों के संसूचना के प्रावधान है । इस नियम के खंड-2 में वर्तमान में यह प्रावधान है कि जिन मामलों में शासन के विभाग अथवा अन्य किसी प्राधिकारी को वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं हैं तो ऐसे मामलों में प्रस्ताव वित्त विभाग को प्राप्त होंगे । वित्त विभाग की सहमति के उपरांत आदेश, प्रशासकीय विभाग द्वारा यू.ओ.क्रमांक एवं दिनांक जिसके द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की है, का उल्लेख कर, जारी किये जा सकेंगे । संक्षिप्त में प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृतियां महालेखाकार कार्यालय को वित्त विभाग की सहमति का उल्लेख कर संसूचित किये जाने के प्रावधान है ।

2/ शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि वित्तीय आलिप्तियों के कतिपय मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश जारी किये गये हैं, जिसके असंगत परिणाम सामने आ रहे हैं । अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि निम्न मामलों में स्वीकृति आदेश वित्त विभाग के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को संसूचित किये जायें :-

1. पे बैण्ड में वेतन/ वेतनमान के पुनरीक्षण संबंधी आदेश ।
2. अतिरिक्त वेतनवृद्धियों की स्वीकृति जो कि नियमों/आदेशों में उल्लिखित न हों ।
3. पदों के सृजन एवं निरंतरता संबंधी आदेश
4. न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन में ब्याज तथा शास्ति के भुगतान संबंधी आदेश।
5. विनिधान की स्वीकृति संबंधी आदेश ।
6. विभिन्न भत्तों तथा मानदेय के पुनरीक्षण संबंधी आदेश ।

3/ उपरोक्त विषय में शासन द्वारा संलग्न अधिसूचना जारी कर मध्यप्रदेश वित्त संहिता जिल्द -1 के नियम 60 के खंड-2 में संशोधन किया गया है । अतः भविष्य में पैरा-2 में उल्लेखित विषयों से संबंधित आदेश वित्त विभाग के माध्यम से पृष्ठांकित कर ही महालेखाकार कार्यालय को भेजे जायें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग